467

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–4–41
कनाक–273/2017 , RBA No 177/2017
स0 ई/207/1/भाग–24/चार

दिनाँक 22–01–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगियों को चिकित्सा भत्ता(PMA) के सम्बन्ध में स्पष्ट पृष्ठांकन।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2014/एसी–II/21/12(पार्ट) दिनांक 15.12.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

22/1/18
(आर0के0पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0–II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

22/1/18
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर
21 DEC 2017

PFA, PCPO

Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA NO – 2017

No. 2014/AC-II/21/12(pt)

New Delhi Dated: .12.2017

General Managers, NER
All Zonal Railways/PUs

Sub:- Clear endorsement regarding Fixed Medical Allowance to Pensioners/Family Pensioners.

Ref:- Board's Letter No. 2012/AC-II/21/Misc matters dated 02.11.2012

*****

In the recently held Meeting, All India Railwaymen's Federation has pointed out (PNM Item no.30/2011) that the pensioners are facing difficulties with regard to grant of Fixed Medical Allowance despite several letters from Board emphasizing to ensure strict compliance of the instructions issued vide letter cited under reference, the latest being dated 27.10.2016 (RBA No. 80/2016).

It is ,therefore, requested that the prevailing status on your Railway may be reviewed and pensioners' grievance in this regard may be redressed.

(Vivek.P. Tripathi)
Director Finance/CCA
Railway Board